रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2259] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 15, 2015/आश्विन 23, 1937
No. 2259] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 15, 2015/ASVINA 23, 1937

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

नई दिल्ली, 8 अक्तूबर, 2015

अधिसूचना

का.आ. 2836(अ).—यत:, मै. कर्नाटक इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट बोर्ड, जो कर्नाटक राज्य का पूर्णत: स्वामित्व वाला राज्य औद्योगिक संवर्धन संगठन है, ने कर्नाटक राज्य के हासन में भेषज के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) (जिसे एतद्पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया था;

और यत:, केन्द्र सरकार ने विशेष आर्थिक जोन नियम 2006 के नियम 8 के साथ पठित उक्त आधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना संख्याआ का.आ. 2161(अ) दिनांक 18 दिसम्बर, 2007 द्वारा उपर्युक्त विशेष आर्थिक जोन में 109.295 हेक्टेयर क्षेत्र को अधिसूचित कर दिया था;

और यत;, मैं. कर्नाटक इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट बोर्ड ने अब उक्त विशेष आर्थिक जोन में से 58.64 हेक्टेयर के क्षेत्र को अनधिसूचित करने का प्रस्ताव किया है;

और यत;, कर्नाटक सरकार ने उनके दिनांक 13 जुलाई, 2015 के पत्र सं. वीटीपीसी/एस.ई.जेड/के.आई.ए.डी.बी-एन.ओ.सी/डी.डी/2014-15 के तहत प्रस्ताव को अनापत्ति प्रमाण पत्र दे दिया है;

और यत;, विकास आयुक्त, कोचिन विशेष आर्थिक जोन ने विशेष आर्थिक जोन के 58.64 हेक्टेयर के क्षेत्र को अनधिसूचित करने के प्रस्ताव को संस्तुति की है;

और यत:, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट है कि अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (8) के अंतर्गत अपेक्षाओं तथा अन्य संम्बधित अपेक्षाओं को पूरा कर लिया गया है;

अत: अब विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2006 के नियम 8 के अनुसरण में केन्द्र सरकार, एतद्वारा उक्त विशेष आर्थिक जोन में 58.64 हेक्टेयर के क्षेत्र को उक्त विशेष आर्थिक जोन में से अनधिसूचित करती है, जिसके परिमाणत: कुल क्षेत्र 50.655 हेक्टेयर हो जाएगा, जिसमें निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित सर्वेक्षण संख्याएं और क्षेत्र शामिल है, अर्थात:-

तालिका

क्र.सं.	**गाँव का नाम**	**सर्वेक्षण सं.**	**क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)**
1	**कौशिका**	325	1.214
2		327	2.519
3		328	24.231
4		329	26.617
5		330	1.042
6		331	0.577
7		332	1.214
8	**चिक्काबासवनहल्ली**	64	1.226
कुल			**58.64 हेक्टेयर**
उपर्युक्त अनधिसूचना के पश्चात एसईजेड का कुल क्षेत्रफल			**50.655 हेक्टेयर**

[फा. सं. एफ.2/386/2006-एसईजेड]

डॉ. गुरूप्रसाद महापात्र, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)
NOTIFICATION

New Delhi, the 8th October, 2015

S.O. 2836(E).—Whereas, M/s. Karnataka Industrial Area Development Board, a fully owned State Industrial Promotion Organization in the State of Karnataka, had proposed under section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act) to set up a sector specific Special Economic Zone for pharmaceuticals at Hassan in the State of Karnataka;

And, whereas, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the said Act read with rule 8 of the Special Economic Zones Rules 2006, had notified an area of 109.295 hectares at above Special Economic Zone vide Ministry of Commerce and Industry Notification Number S.O. 2161 (E) dated 18th December, 2007;

And, whereas, M/s. Karnataka Industrial Area Development Board has now proposed for de-notification of 58.64 hectares at the above Special Economic Zone;

And, whereas, the State Government of Karnataka has given its "No Objection" to the proposal vide letter No. VTPC/SEZ/KIADB-NOC/DD/2014-15, dated 13th July, 2015;

And, whereas, the Development Commissioner, Cochin Special Economic Zone has recommended the proposal for de-notification of an area of 58.64 hectares of the Special Economic Zone;

Now, whereas, the Central Government is satisfied that the requirements under sub-section (8) of section 3 of the said Act and other related requirements are fulfilled;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by second proviso to sub-section (1) of section 4 of the Special Economic Zones Act, 2005 and in pursuance of rule 8 of the Special Economic Zones Rules, 2006, the Central Government hereby **de-notifies an area of 58.64 hectares**, thereby making resultant area as **50.655 hectares**, comprising the survey numbers and the area given below in the table, namely:-

TABLE

S.No.	Name of the Village	Survey No.	Area to de-notified (in Hectares)
1	**Kaushika**	325	1.214
2		327	2.519
3		328	24.231
4		329	26.617
5		330	1.042
6		331	0.577
7		332	1.214
8	**Chikkabasavanahalli**	64	1.226
Total			**58.64 hectares**
Total Area of SEZ after above de-notification			**50.655 hectares**

[F. No. F.2/386/2006-SEZ]

Dr. GURUPRASAD MOHAPATRA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.